

सिंडिकेट बैंक, बेंगलोर

बनाम

सत्य श्रीनाथ

अप्रैल 17, 2007

[ए.के. माथुर और तरूण चटर्जी, जे.जे.]

सिंडिकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995-विनियम 29-पेंशन-हक-निर्दिष्ट अवधि के दौरान सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार-अवधि-हालांकि, जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए हैं या जिन्हें स्वेच्छा से सेवानिवृत्त माना गया है, वे पात्र नहीं हैं-कर्मचारी बिना किसी कारण के काम से अनुपस्थित, स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने से स्वेच्छया से सेवा से सेवानिवृत्त होना माना जाता है- कर्मचारी द्वारा पेंशन की मांग की गई जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। हालांकि, डिवीजन बेंच द्वारा मंजूर किया गया-सही है-कर्मचारी पर बैंक द्वारा लगाई गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति/समयपूर्व सेवानिवृत्ति-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति का मामला नहीं-साथ ही कर्मचारी ने 20 साल की सेवा की है और उसने स्वास्थ्य से सम्बन्धित अवकाश लिया था। जिससे उसे इनकार कर दिया गया था-इस प्रकार, कर्मचारी पेंशन का हकदार है।

उत्तरदाता-कर्मचारी काम से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी-बैंक ने प्रत्यर्थी को उसकी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया। उत्तरदाता ने स्पष्टीकरण दिया कि बीमारी के कारण वह इयूटी के लिए सूचना नहीं कर सकी; इसका समर्थन चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा किया गया था। स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को सूचित किया कि उसे 23.12.1992 से स्वैच्छिक रूप से सेवा से सेवानिवृत्त माना गया था। पीड़ित प्रतिवादी ने सेवा में पुनः नियुक्ति के

लिए रिट याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। इस बीच सिंडिकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 लागू हुआ। बैंक ने 4.11.1995 को एक परिपत्र जारी किया कि नियम उन लोगों पर लागू थे जो 01.01.1986 को या उसके बाद बैंक की सेवा में थे लेकिन 29.09.1995 के पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे हालांकि, जो कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे या 01.01.1986 और 31.10.1993 के बीच स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त माने गये, वे विनियमों के तहत पेंशन के लिए पात्र नहीं थे। परिपत्र में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन पूर्व कर्मचारियों ने विनियमन के तहत पेंशन के लिए अपने विकल्प का उपयोग नहीं किया था, वे अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। उत्तरदाता 07.04.1969 से सेवा में था और 22.12.1992 को सेवानिवृत्त हुआ था। उत्तरदाता ने पेंशन योजना के लिए आवेदन किया लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादी ने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिवादी पेंशन के लिए पात्र नहीं था। हालांकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि प्रत्यर्थी विनियमों के अनुसार पेंशन का हकदार था। इसलिए वर्तमान में यह अपील है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, अभिनिर्धारित:

1.1. प्रत्यर्थी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और चिकित्सा आधार पर समयवृद्धि की मांग की। लेकिन बैंक के प्रबंधन ने मामले पर विचार कर सहानुभूति-पूर्वक आदेश देने के बजाय खंड 17 (ए) के तहत समयपूर्व सेवानिवृत्त के आदेश दिए। यह उसके स्वेच्छाया सेवानिवृत्त होने का मामला नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा मामला है जहां बैंक ने उसे सजा के रूप में सेवानिवृत्त कर दिया है क्योंकि वे उसके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए, यह बैंक द्वारा जारी स्पष्टीकरण के तहत आने वाला मामला नहीं है और यह भी नहीं माना जा सकता है कि वह स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुई है।

सम्भवतया तत्काल मामला दिनांकित 4.11.1995 परिपत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। खंड 17 (ए) में एक व्यक्ति जो जानबूझकर कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है और बिना किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के कार्यालय छोड़ देता है, तो प्रबंधन खंड 17 (ए) का उपयोग कर सकता है। लेकिन तत्काल मामले में, तथ्य बहुत स्पष्ट हैं कि पदधारी ने 20 साल की सेवा की है और दुर्भाग्य से वह बीमार पड़ गई और उसने चिकित्सा आधार पर छुट्टी बढ़ाने की मांग की, जिसे उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए, यह परित्यक्त सेवा का मामला नहीं है या उसने प्रबंधन द्वारा भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं भेजा है। हालाँकि, उसने अपने अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए एक विनम्र जवाब दिया, कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण छुट्टी लेना उसके नियंत्रण से बाहर था, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया और 20 साल की सेवा की पेंशन से इनकार कर दिया। इसलिए, इस तरह की कार्यवाही अनुचित मनमानी है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में बैंक द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह समयपूर्व पुनर्भुगतान का मामला नहीं है और ना ही यह उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति की मांग का मामला है। यह बैंक है जिसने उसे सेवानिवृत्त किया है और उस तरह की आकस्मिकता बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में शामिल नहीं है। यह उस पर जबरन लगाए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मामला है। उक्त आकस्मिकता अधिकारियों के उपरोक्त आदेश के अंतर्गत नहीं आती है। यह प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा जबरन सेवानिवृत्ति थी। [पैरा 9] [248-जी-एच; 249-ए-डी]

1.2. बैंक द्वारा यह अवलोकन किया गया कि पेंशन बाबत उसका प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र को उसके स्वयं के कृत्य सही नहीं होने के कारण उसकी स्वेच्छाया सेवानिवृत्ति मानी जाकर खारीज कर दिया गया। प्रबंधन का यह निर्णय "स्वेच्छा से सेवानिवृत्त माना गया है" पूर्णत गलत है।

पंजाब एंड सिंध बैंक और अन्य बनाम सकतर सिंह, [2001] 1 एससीसी 214, 244 में उल्लेखित किया गया।

1.3. 'त्याग' और 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' की अभिव्यक्ति जानबुझकर सेवा छोड़ना है। प्रत्येक अभिव्यक्ति अलग अर्थ रखती है और प्रत्येक मामले की जांच करनी होगी चाहे वह मामला कर्मचारी द्वारा ली गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का हो या वह पेंशन के लिए सेवानिवृत्त हुआ हो या उसने इस्तीफा दे दिया है या वह सजा के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गया है। यदि अपीलार्थी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति/समयपूर्व सेवानिवृत्ति लागू की गई है, तो यह उत्तरदाता द्वारा स्वेच्छा से मांगी गई सेवानिवृत्ति नहीं हो। यह प्रबंधन द्वारा आदेशित अनिवार्य सेवानिवृत्ति का एक स्पष्ट मामला है और उक्त आकस्मिकता के बारे में दिनांक 4.11.1995 पर जारी परिपत्र में विचार नहीं किया गया है। इसलिए, किसी भी मामले में, उन्हें उनकी 20 साल की सेवा के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था, जब वे उस पेंशन योजना के अंतर्गत आती हैं जिसमें वे 1986 से पहले कार्यरत थीं और 29.9.95 से पहले सेवानिवृत्त हुई थीं। इसलिए, वह पेंशन की हकदार हैं। [पैरा 12} [250-सी-ई]

यूको बैंक और अन्य बनाम सांवर मल, [2004] 4 एस. सी. सी. 412, का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 6721/2004

बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 1999 की रिट अपील संख्या 6017 दिनांक 07.04.2003 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए आदर्श बी. डायल, सुमति आनंद और राजीव नंदा।

उत्तरदाता के लिए अनीता शेनॉय और नवीन आर. नाथ।

न्यायालय का निर्णय ए. के. माथुर, जे. द्वारा दिया गया था।

ए.के. माथुर, जे.

1. इस अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय के डिवीजन द्वारा 7 अप्रैल, 2003 में पारित आदेश के खिलाफ निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया और 1999 की रिट याचिका संख्या 25322 को अनुमति दी। दिनांक 26 जून, 1999 के विवादित आदेश को रद्द किया और अपीलार्थी-बैंक के प्रबंधन को 1.11.1993 से प्रतिवादी को पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया।

2. प्रतिवादी सिंडिकेट बैंक का कर्मचारी था। प्रतिवादी अनधिकृत दिनांक 11.3.1992 से अनुपस्थित रहा और एक नोटिस दिनांक 18.11.1992 को उसे जारी किया गया था। जिसमें उसे या तो इयूटी के लिए वापस आने के लिए कहा गया था या 30 दिनों के भीतर यानी 21.12.1992 पर या उससे पहले उसकी अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह भी निर्धारित किया गया था कि यदि वह निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है तो उसे पांचवा द्विदलीय समझौता के खंड 17 (ए) के संदर्भ में नोटिस की दिनांक से 30 दिनों की समाप्ति पर स्वेच्छा से बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा। प्रत्यर्थी (यहाँ) ने अपना स्पष्टीकरण भेजा लेकिन बैंक प्रबंधन को स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं लगा। इसलिए, अपीलार्थी ने दिनांकित 10.12.1992 के पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचित किया (यहाँ) कि पाँचवें द्विदलीय समझौते के खंड 17 (ए) की शर्तों के तहत दिनांक 23.12.1992 से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त मानी गई थी। उस तारीख से उसकी बैंक की सेवा बंद कर दिया जाना माना गया था। प्रत्यर्थी द्वारा (यहाँ) स्पष्टीकरण भेजा गया था कि वह बीमारी के कारण इयूटी के लिए तुरन्त रिपोर्ट करने में असमर्थ थी और इयूटी के लिए रिपोर्ट करने बाबत

समय बढ़ाने की मांग की और छुट्टी के विस्तार के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित एक आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा पारित आदेश से व्यथित प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1259/1995 दायर की गई जिसमें अपीलार्थी बैंक से उसे सभी लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश देने बाबत मांग की गई थी। एकल जज के आदेश दिनांक 23.11.1995 के तहत रिट पीटिशन इस आधार पर खारीज कर दी गई कि दिनांक 29.09.1995 को दिए गए आदेश की वैधता पर आपत्ति करने में असुविधिक देरी हो गई थी। इस बीच सिंडिकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (जिसे इसके बाद विनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) दिनांक 29.9.1995 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशन में आया। अपीलार्थी ने दिनांक 4.11.1995 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें उल्लेखित विनियम निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू थे:

(i) वे जो 1.1.1986 को या उसके बाद बैंक की सेवा में थे, लेकिन 29.9.1995 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।

(ii) वे लोग जो 29.9.1995 से पहले बैंक की सेवा में थे और 29.9.1995 को या उसके बाद भी बैंक की सेवा में बने रहे।

(iii) वे लोग जो 29.9.1995 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में शामिल हुए।

(iv) से (viii) को छोड़ दिया गया है जो प्रासंगिक नहीं हैं।

3. यह स्पष्ट किया गया कि पूर्व कर्मचारी जो स्वेच्छा से बैंक के सेवा विनियम खंड संख्या 19 (1) की शर्तों के तहत सेवानिवृत्त हुये थे या दिनांक 1.1.1986 और 31.10.1993 के बीच पांचवें द्विदलीय समझौते के संदर्भ में स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त माने जाने वाले कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के तहत पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।

4. यह भी उल्लेख किया गया कि पेंशन विनियम 1995 का विनियम 29 के तहत 20 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए लिखित रूप में कम से कम 3 महीने की सूचना देने का प्रावधान किया गया है, जो उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन है।

5. उक्त परिपत्र में यह भी प्रावधान किया गया है कि पूर्व कर्मचारी जिन्होंने पहले नियमों के तहत पेंशन के लिए अपने विकल्प का उपयोग नहीं किया था दिनांक 29.9.1995 से 120 दिनों के भीतर योजना के तहत अपने विकल्प का उपयोग कर सकते थे। उस परिपत्र के अनुसरण में उत्तरदाता ने 28.12.1995 को पेंशन योजना के लिए आवेदन किया लेकिन 22.1.1996 को प्रबंधन द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। व्यथित प्रतिवादी (इसमें) ने आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 1370, 1987 दायर की थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 17.2.1989 आदेश द्वारा रिट याचिका की अनुमति दी और कहा कि चूंकि प्रतिवादी 1.1.86 के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो गई है। वह विनियमों के तहत पेंशन लाभों के लिए पात्र थी और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी (इसमें) के दावे पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को बैंक को भेज दिया। रिमांड के बाद अपीलार्थी बैंक ने मामले पर पुनर्विचार किया और दिनांक 26.6.1999 को संचालन द्वारा इसे खारीज कर दिया गया। अपीलार्थी-बैंक द्वारा अस्वीकृति के लिए दिए गए कारणों को नीचे निम्नानुसार है

"आप 11.3.1992 से लगातार कर्तव्यों से अनुपस्थित रहे। नोटिस की तामिल के बाद भी न तो आपने ड्यूटी ज्वाइन की और न ही अपनी अनुपस्थिति के लिए कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसलिए आपको पाँचवें द्विदलीय समझौते के खंड 17 के संदर्भ में स्वैच्छिक रूप से बैंक की सेवा से खाली/सेवानिवृत्त माना गया था।

कृपया ध्यान दें कि ऐसी मानित सेवानिवृत्ति बैंक की ओर से किसी भी सकारात्मक कार्रवाई द्वारा नहीं लाई गई थी। यह पूरी तरह से आपके स्वयं के कार्य का लेखा-जोखा है। आपके द्वारा बैंक के आदेश दिनांक 30.12.1992 को चुनौती देने वाली आपके द्वारा दायर रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.01.1995 द्वारा खारिज कर दी गई थी। उसी दिन से आपकी सेवा में समाप्ति अंतिम हो गई है। इसलिए यह देखा गया है कि आप बैंक की सेवा में पेंशन की आयु तक पहुंचने तक रुकने वाले नहीं हैं और न ही आपने सिंडिकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 की विनियमन संख्या 29 के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की और प्राप्त की। जैसा कि पेंशन विनियम में वर्णित है कि यह समयपूर्व सेवानिवृत्ति का मामला भी नहीं है। क्योंकि बैंक की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं है। आपकी कार्यवाही वास्तव में सेवा को छोड़ने के बराबर थी। इस प्रकार देखा जाता है कि आप पेंशन विनियम जो आपको पेंशन प्राप्त करने का अधिकार देते हैं उसके दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा बैंक का परिपत्र स. 226/95/BC/PD/61/SWD दिनांक 4.11.1995, यह स्पष्ट करता है कि पूर्व कर्मचारी जो द्विदलीय समझौता की शर्तों के अधीन दिनांक 01.01.1966 और 31.10.1993 के मध्य स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं। वह पेंशन विनियम, 1995 के तहत पेंशन के लिए पात्र नहीं है। आपने दिनांक 22.12.1992 से बैंक में कार्य करना बंद कर दिया है और इसलिए आप पेंशन के हकदार नहीं हैं। यहां तक की यह मान लिया गया है कि आप पेंशन विनियम, 1995 के तहत बैंक की सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए थे। इसलिए आप पेंशन विनियमों के तहत

पेंशन के हकदार नहीं होंगे। मानो कि आप 01.11.1993 से पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे।”

6. उस आदेश के खिलाफ पीड़ित प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की। यह 1999 की रिट याचिका संख्या 25322 के माध्यम से दर्ज किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी संबंधित विनियमों के तहत पेंशन का हकदार नहीं था और दिनांक 27.7.1999 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के खिलाफ भी व्यथित प्रतिवादी (इसमें) द्वारा इस मामले को खंड पीठ के समक्ष अपील में ले जाया गया और डिवीजन बेंच मामले पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रतिवादी विनियमों के अनुसार पेंशन का हकदार था। इसलिए, वर्तमान में अपील है।

7. यह सही है कि प्रतिवादी (इसमें) दिनांक 7 अप्रैल, 1969 बैंक की सेवा में थी और वह बैंक सेवा से दिनांक 22.12.1992 से सेवानिवृत्त हो चुकी थीं और विनियमन के अनुसार, पेंशन का विकल्प चुनने वाले बैंक के कर्मचारी 1.1.1986 को या उसके बाद बैंक की सेवा में थे, लेकिन 29.9.95 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। अतः यह शर्त पूरी हो जाती है। ये दोनों मापदंड विवाद में नहीं हैं। एकमात्र प्रश्न जो निर्धारण की मांग करता है वह यह है कि विनियमन और बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक 4.11.1995 के अनुसार क्या प्रतिवादी पेंशन का हकदार है या नहीं? बैंक द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार जो पूर्व कर्मचारी स्वेच्छा से बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे या 1.1.1986 और 31.10.1993 के बीच स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए थे, वे पेंशन विनियमन के तहत पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।

8. अब सवाल यह है कि क्या प्रत्यर्थी को पाँचवें द्विदलीय समझौते के अनुसार स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त माना गया था या वह अपीलार्थी-बैंक द्वारा सेवानिवृत्त की

गई थी। व्यक्तियों के दो वर्ग हो सकते हैं; एक जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी या दूसरा जिसे स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त माना गया था। यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मामला नहीं है, बल्कि उन्हें प्रबंधन के आदेश से सेवानिवृत्त किया गया था। इसलिए, वह दोनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं। प्रत्यर्थी (इसमें) अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अनुपस्थित रही। और उसने चिकित्सा आधार पर छुट्टी बढ़ाने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन प्रबंधन ने सहानुभूतिपूर्ण विचार लेने के बजाय, प्रतिवादी को बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त कर दिया। चूंकि वह उपरोक्त दो श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आती है, इसलिए यह तीसरी श्रेणी है जिस पर नियमों में विचार नहीं किया गया है। हालाँकि, उसका मामला खंड 17 (ए) के संदर्भ में लाने का प्रयास किया गया था जिसमें कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी उसकी ओर से छुट्टी का प्रार्थना पत्र दिए बिना या मूल रूप से स्वीकृत छुट्टी की अवधि के बाद छुट्टी दिए बिना लगातार 90 दिनों या उससे अधिक दिनों की अवधि के लिए काम से अनुपस्थित रहता है। यदि प्रबंधन यथोचित रूप से संतुष्ट है कि पदधारी का कर्तव्यों में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, तो प्रबंधन उसके बाद किसी भी समय कर्मचारी को नोटिस दे सकता है। और उसे इ्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए बुला सकता है और आवश्यकता हो तो कर्मचारी को नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने बाबत कह सकता है। यदि कर्मचारी प्रबंधन को संतुष्ट नहीं करता है, तो उसे नोटिस की समाप्ति पर सेवानिवृत्त माना जा सकता है। यदि कर्मचारी बैंक को संतुष्ट करता है, तो वह नोटिस की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा के नियम के तहत कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट कर सकता है। इस संबंध में पांचवें द्विदलीय समझौते का खंड 17 (ए) निम्नानुसार है:

"(क) जब कोई कर्मचारी उसकी ओर से छुट्टी का प्रार्थना पत्र दिए बिना या मूल रूप से स्वीकृत छुट्टी की अवधि के बाद में या जब संतोषजनक

सबूत है कि उसने भारत मे रोजगार लिया है या जब प्रबंधन यथोचित रूप से संतुष्ट हो कि उसका कर्तव्यों में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, और वह 90 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए काम से लगातार अनुपस्थित रहता है तो इसके बाद प्रबंधन कभी भी कर्मचारी को उसके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस देगा तथा उसे नोटिस की तिथि से 30 दिनों के भीतर इ्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहेगा अन्य बातों के साथ-साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि कर्मचारी का इ्यूटी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। इस बात को प्रमाणित करने बाबत आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध है। कर्मचारी को उक्त नोटिस की समाप्ति से बैंक की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त माना जाएगा। जब तक की कर्मचारी नोटिस की तिथि से 30 दिनों के भीतर इ्यूटी करने के लिए रिपोर्ट नही करता है या 30 दिनों की उक्त अवधि के भीतर अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण नही दे देता है या प्रबंधन को संतुष्ट करते हुए कि उसने कोई अन्य नौकरी या व्यवसाय नहीं लिया है और उसका कर्तव्यों में शामिल नहीं होने का कोई इरादा नहीं है। बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कानून या सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए कर्मचारी द्वारा संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने की स्थिति में उसे उपर्युक्त सूचना की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर इ्यूटी के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

9. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी (यहाँ) ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और चिकित्सा आधार पर समय बढ़ाने की मांग की। लेकिन बैंक के प्रबंधन ने मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाय खंड 17 (ए) के कथित अभ्यास के तहत समय से पूर्व सेवानिवृत्ति करने का आदेश दिया। यह मामला उसके स्वेच्छाया सेवानिवृत्त होने

का नहीं है। वरन् यह एक ऐसा मामला है जिसमें बैंक ने उसे सजा के रूप में सेवानिवृत्त कर दिया है क्योंकि वे उसके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसे बैंक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण में शामिल किया जा सके और यह भी नहीं माना जा सकता है कि वह स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुई है। वर्तमान मामले में आकस्मिकता उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 04.11.1995 के अन्तर्गत नहीं आती है। वर्तमान प्रकरण में प्रत्यर्थी ने सेवा में लगभग 20 वर्षों का समय दिया है और चिकित्सा आधार पर छुट्टी ले ली है जिससे उसे इनकार किया जा रहा है। खंड 17 (ए) में जो विचार किया गया है वह यह है कि एक व्यक्ति जो जानबूझकर कार्यालय में शामिल नहीं होते हैं और बिना किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के कार्यालय छोड़ देते हैं, तब प्रबंधन खंड 17(ए) के प्रावधानों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन वर्तमान मामले में, तथ्य बहुत स्पष्ट हैं कि पदधारी ने 20 साल की सेवा की है और दुर्भाग्य से वह बीमार पड़ गई और उसने चिकित्सा आधार पर छुट्टी बढ़ाने की मांग की। जिसे उसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए, यह परित्यक्त सेवा का मामला नहीं है और उसने प्रबंधन द्वारा भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं भेजा है। हालाँकि, उसने अपने अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए एक विनम्र जवाब दिया है, कि खराब स्वास्थ्य के कारण छुट्टी लेना उसके नियंत्रण से बाहर था। लेकिन अधिकारियों ने उसे समय से पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया और 20 साल की सेवा की पेंशन से इनकार कर दिया। इसलिए, इस तरह की कार्यवाही अनुचित, मनमानी है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में बैंक द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह समय से पूर्व सेवानिवृत्ति का मामला नहीं है। और ऐसा मामला भी नहीं है कि उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति की मांग की है। यह बैंक है जिसने उसे सेवानिवृत्त किया है और उस तरह की आकस्मिकता बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में शामिल नहीं है। यह उस पर जबरन लगाए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मामला है।

उक्त आकस्मिकता अधिकारियों के उपरोक्त आदेश के अंतर्गत नहीं आती है। यह प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा जबरन सेवानिवृत्ति थी।

10. विद्वान वकील ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि बैंक का यह अवलोकन सही नहीं है कि उसके द्वारा समझी गई सेवानिवृत्ति के कारण एवं उसके स्वयं के कार्य के कारण पेंशन के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र को अस्वीकार कर दिया है। वास्तव में बैंक द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया गया है। ऐसा नहीं है कि वह सेवा में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण शामिल होने में असमर्थ थी। प्रबंधन का निर्णय, "जिसे स्वेच्छा से सेवानिवृत्त माना जाता है", पूरी तरह से गलत है।

11. विद्वान वकील ने पंजाब एंड सिंध बैंक और अन्य बनाम सक्तर सिंह [2001] 1 एस.सी.सी. 214 के मामले पर एक मजबूत निर्भरता रखने की कोशिश की है। जिसमें कोई घरेलू जांच नहीं की गई थी और पदधारी को तीन पत्र जारी किए गए थे जिसमें उन्हें इयूटी में शामिल होने का निर्देश दिया गया था और अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रतिवादी ने ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वह आंखों की बीमारी से पीड़ित था जिसे अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने समाप्ति को रद्द कर दिया और मामला इस न्यायालय के समक्ष आया और इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि प्रासंगिक तथ्य व परिस्थितियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। किन्तु वर्तमान मामले में जैसा की पहले ही उपर यह तथ्य बताया जा चुका है कि उसने एक चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था, जो कि बैंक-प्रबंधन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और उसे सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। यह आकस्मिकता परिपत्र दिनांकित 04.11.1995 के अंतर्गत नहीं आती है।

12. हमारा ध्यान यूको बैंक और ओआरएस बनाम वी. सांवरमल, [2004] 4 एस. सी. सी. 412 के मामले पर भी आकर्षित किया गया था। जिसमें "इस्तीफे और सेवानिवृत्ति" के बीच अंतर किया है, कि यह एक अलग अर्थ रखते हैं और यह देखा गया है कि एक कर्मचारी किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है लेकिन वह केवल सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हो सकता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में अहर्क सेवा पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होता है। 'त्याग' और 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' की अभिव्यक्ति जानबूझकर सेवा का परित्याग है। प्रत्येक अभिव्यक्ति का अलग-अलग अर्थ होता है और प्रत्येक मामले की जांच की जानी चाहिए कि क्या यह कर्मचारी द्वारा मांगी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मामला था या वह सेवानिवृत्ति के कारण सेवानिवृत्त हुआ है या उसने इस्तीफा दे दिया है या उसे सजा के उपाय के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है। लेकिन जहां तक वर्तमान विवाद का संबंध है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति/समयपूर्व सेवानिवृत्ति अपीलार्थी द्वारा लागू की गई है, यह प्रत्यर्थी द्वारा स्वेच्छा से नहीं मांगी गई है। यह प्रबंधन द्वारा आदेशित अनिवार्य सेवानिवृत्ति का एक स्पष्ट मामला है और दिनांक 04.11.1995 पर जारी परिपत्र में उक्त आकस्मिकता पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए, जो कुछ भी हो, हमारी राय है कि उसे उसकी 20 साल की सेवा के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह उस पेंशन योजना के अंतर्गत आती है जिसमें कि वह 1986 से पहले कार्यरत थी और 29.9.95 से पहले सेवानिवृत्त हुई थी। इसलिए, वह पेंशन की हकदार है। इस दृष्टिकोण में उक्त मामले में हमारी राय है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है और बैंक द्वारा दायर यह अपील पोषणीय नहीं है। इसलिए, लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना इसे खारिज किया जाता है।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती ममता सैनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।